# The Legal Services Authorities Act, 1987
## (No. 39 of 1987)

An Act to constitute legal services authorities to provide free and competent legal services to the weaker sections of the society to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities and to organise Lok Adalats to secure that the operation of the legal system promotes justice on a basis of equal opportunity.

Be it enacted by Parliament in the Thirty eighth Year of the Republic of India as follows :-

## CHAPTER I
## PRELIMINARY

### Short title, extent and commencement

1. 1. This Act may be called the Legal Services Authorities Act, 1987.

2. It extends to the whole of India, except the State of Jammu and Kashmir.

3. It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification, appoint and different dates may be appointed, for different provisions of this Act and for different States, and any reference to commencement in any provision of this Act in relation to any State shall be construed as a reference to the commencement of that provision in that State.

### Definitions

2. 1. In this Act, unless the context otherwise requires, -

(a) "case" includes a suit or any proceeding before a court;

(aa) "Central Authority" means the National

# विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987

1987 का 39 नं. (11 अक्टूबर, 1987)

{जैसा कि विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित है (37/2002)}

(11 जून, 2002)

समाज के कमजोर वर्गों को, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त कर पाने के अवसर से वंचित न रह जाए, निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा उपलब्ध कराने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि विधिक प्रणाली का प्रवर्तन समान अवसर के आधार पर न्याय का संवर्द्धन करे, लोक अदालत आयोजित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

## अध्याय 1
## प्रारंभिक

### संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 है।

(2) इसका विस्तार, जम्मू व कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए तथा भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी राज्य के संबंध में इस अधिनियम के किसी उपबंध के प्रारम्भ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में उस उपबन्ध के प्रारम्भ के प्रति निर्देश है।

Legal Services Authority constituted under section 3;

(aaa) "Court" means a civil, criminal or revenue court and includes any tribunal or any other authority constituted under any law for the time being in force, to excercise judicial or quasi-judicial functions;

(b) "District Authority" means a District Legal Services Authority constituted under section 9;

(bb) "High Court Legal Services Committee" means a High Court Legal Services Committee constituted under section 8-A;

(c) "Legal Service" includes the rendering of any service in the conduct of any case or other legal proceeding before any court or other authority or tribunal and the giving of advice on any legal matter;

(d) "Lok Adalat" means a Lok Adalat organised under Chapter VI;

(e) "Notification" means a notification published in the official Gazette;

(f) "Prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(ff) "Regulations" means regulations made under this Act;

(g) "Scheme" means any scheme framed by the Central Authority, a State Authority or a District Authority for the purpose of giving effect to any of the provisions of this Act;

(h) "State Authority" means a State Legal services Authority constituted under section 6;

(i) "State Government" includes the adminstrator of a Union territory

## परिभाषाएँ

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) "मामला" के अन्तर्गत किसी न्यायालय के समक्ष कोई वाद या कोई कार्यवाही है,

(कक) "केन्द्रीय प्राधिकरण" से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अभिप्रेत है,

(ककक) "न्यायालय" से कोई सिविल, दाण्डिक या राजस्व न्यायालय अभिप्रेत हैं और इसके अन्तर्गत न्यायिक या न्यायिकेतर कृत्यों का प्रयोग करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित कोई अधिकरण या कोई अन्य प्राधिकरण है,

(ख) "जिला प्राधिकरण" से धारा 9 के अधीन गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अभिप्रेत है,

(खख) "उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति" से धारा 8-क के अधीन गठित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति अभिप्रेत है,

(ग) "विधिक सेवा" के अन्तर्गत किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण या अधिकरण के समक्ष किसी मामले या अन्य विधिक कार्यवाही के संचालन में कोई सेवा प्रदान करना और किसी विधिक विषय में सलाह देना भी है,

(घ) "लोक अदालत" से अध्याय 6 के अधीन आयोजित लोक अदालत अभिप्रेत है,

(ङ.) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है,

(च) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है,

(चच) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत है,

appointed by the President under Article 239 of the Constitution;

(j) "Supreme Court Legal Services Committee" means the Supreme Court Legal Services Committee constituted under section 3-A;

(k) "Taluk Legal Services Committee" means a Taluk Legal Services Committee constituted under secton 11-A.

2. Any reference in this Act to any other enactment or any provision thereof shall, in relation to an area in which such enactment or provision is not in force, be construed as a reference to the corresponding law or the relevant provision of the corresponding law, if any, in force in that area.

## CHAPTER II

# THE NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY

### Constitution of the National Legal Services Authority

3. 1. The Central Government shall constitute a body to be called the National Legal Services Authority to exercise the powers and perform the functions conferred on, or assigned to, the Central Authority under this Act.

2. The Central Authority shall consist of-

(a) The Chief Justice of India who shall be the Patron-in-Chief;

(b) A serving or retired Judge of the Supreme Court to be nominated by the President, in consultation with the Chief Justice of India, who shall be the Executive Chairman; and

(c) Such number of other members, possessing such experience and

(छ) "स्कीम" से केन्द्रीय प्राधिकरण, किसी राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के किसी उपबन्ध को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए तैयार की गई कोई स्कीम अभिप्रेत है,

(ज) "राज्य प्राधिकरण" से धारा 6 के अधीन गठित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अभिप्रेत है,

(झ) "राज्य सरकार" के अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया किसी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक भी है,

(ञ) "उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति" से धारा 3 क के अधीन गठित उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति अभिप्रेत है,

(ट) "तालुक विधिक सेवा समिति" से धारा 11क के अधीन गठित तालुक विधिक सेवा समिति अभिप्रेत हैं।

2. इस अधिनियम में किसी अन्य अधिनियमित या उसके किसी उपबन्ध के प्रति निर्देश का, किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में जिसमें ऐसी अधिनियमित या ऐसा उपबन्ध नहीं हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में प्रवृत तत्स्थानी विधि या तत्स्थानी विधि के सुसंगत उपबन्ध के, यदि कोई हो, प्रति निर्देश है।

## अध्याय 2

# राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

### राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन

3. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण को प्रदत्त या समनुर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए एक निकाय गठित करेगी, जिसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण कहा जाएगा।

(2) केन्द्रीय प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा :-